- **पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों द्वारा धनतेरस पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु अपने–अपने थाना क्षेत्रों में की गयी चेकिंग/पैदल गस्त,**

- **पुलिस बल द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर धनतेरस पर्व को कराया गया सकुशल सम्पन्न–**

- **पुलिस बल द्वारा बैंको के आसपास खड़े नवयुवकों/संदिग्ध व्यक्तियों की कि गयी चेकिंग–**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने जनपद में धनतेरस पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु गूगल मीट के माध्यम से समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 10.11.2023 को धनतेरस पर्व के अवसर पर जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ सर्राफा व्यापारियों व फाइनेंस कम्पनी के अधिकारियों से वार्ता कर उनकी सुरक्षा हेतु अश्वासन दिया गया तथा सर्राफा दुकानों के आसपास चेकिंग की गयी तथा जनपद के बार्डर एरिया पर लगे बैरियर प्वांइटों को बदल–बदल कर वहां से आने जाने वाली संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों को चेक किया गया साथ ही त्योंहारों के दृष्टिगत कल परसों बैंक बंद होने के अवसर पर आज बैंको के आसपास खड़े नवयुवकों/संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके। पुलिस बल द्वारा धनतेरस पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपने–अपने थाना क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रही।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 10.11.2023

'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 07 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना परसपुर पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त -01. ज्ञानचन्द्र पासी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री विनय कुमार सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना परसपुर के पैरोकार का0 शशिकान्त के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 07 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 5,000-5,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-
01. ज्ञान चन्द्र पासी पुत्र शिव प्रसाद निवासी ग्राम नयापुरवा मौजा राजापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-338/16, धारा 307 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।